

3.9.2024:-पत्रावली पेशी में आई। उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पत्रावली में अधिवक्ता की बहस एवं साक्ष्य सबूतों को मध्यनजर रखते हुए। वादपत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय कि पालना में डिक्री जारी कर शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार हनुमानगढ़ को पत्र जारी किया जाकर पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

W. Singh

सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

